# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी ,जिला-धमतरी (छ0ग0)

कम्पोजिट बिल्डिंग, द्वितीय तल, कलेक्टोरेट परिसर के पास धमतरी
फोन नम्बर-07722- 232390फैक्स नम्बर-07722-230989

क्र./मान्यता/ नवीनीकरण/अनुमति/2024–25/6850 दिनांक :– 18/10/2024

प्रति,

01. प्रबंधक/अध्यक्ष/सचिव,
रायपुर डायोसिस एजुकेशन सोसायटी, रायपुर
02. अशास0 शाला सेंट मेरी इंग्लिश मिडियम स्कूल, धमतरी
विकासखण्ड –धमतरी
जिला– धमतरी (छ0ग0)

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में, और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त में सेंट मेरी इंग्लिश मिडियम स्कूल, धमतरी को **अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2024–25 से 2026–27 (तीन वर्ष) अप्रैल 2027 तक की अवधि के लिए** कक्षा- नर्सरी से बारहवीं, **माध्यम** -अंग्रेजी के लिए शर्तो के आधार पर अस्थाई अनंतिम नवीन मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है।

1. मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात मान्यता/संबध्दन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट – एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट – दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों के संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बच्चे या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत नही होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित् करेगा :–
   - (एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   - (दो) किसी भी बच्चे को शारिरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।
   - (तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
   - (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - (पांच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यक्ताओं वाले विद्यार्थयों को प्रवेश दिया जायेगा।
   - (छः) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम आर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम आर्हताएं नही है 05 वर्षों के अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यतायें अर्जित करेंगें।

(सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगें, और
(आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेंगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं :–

**विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल**
**कुल निर्मित का क्षेत्र**
**खेल के मैदान का क्षेत्रफल**
**कक्षाओं की संख्या**
**प्रधानपाठक–सह–कार्यालय–सह –भण्डार के लिये कक्ष**
**बालकों एवं बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय**
**पेयजल सुविधा**
**मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु रसोई**
**बाधा रहित पंहुच**
**अध्यापन पठ्न सामग्री / कीड़ा खेलकुद के उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता**

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्ही अन्य वयक्तियों के लाथ के लिये नही चलाया जा रहा हैं
13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतयेक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक डाईस कोड – **22133016814 (सेंट मेरी इंग्लिस मिडियम स्कूल, धमतरी)**.. है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिये इस सांख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निर्देशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण , यदि कोई हो को सुनिश्चित् किया जाए।
17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. आर.टीई. अधिनियम की धारा 19 और धारा 25 विद्यालय के लिये मान और मानक के उल्लंघन की स्थिति में मान्यता आदेश स्वयं निरस्त माना जावेगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी शाला संचालन समिति की होगी।
19. **छ.ग. अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 के तहत फीस वृद्धि के मापदण्डों का पालन किया जावें** । विद्यालय फीस / शुल्क वृद्धि की सूचना विद्यालय के वेबसाइट, विद्यालय के सूचना पटल के माध्यम से पालकों को सूचित किया जावें ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला धमतरी(छ0ग0)

**पृ0क्र0 / मान्यता / नवीनीकरण / अनुमति / 2024–25 /** 6851  **दिनांक :–** 18/10/ **2024**

प्रतिलिपि :–

1. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धमतरी / कुरूद / मगरलोड / नगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. जिला परियोजना अधिकारी, आर0एम0एस0ए0, धमतरी की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित नोडल प्राचार्य, को सूचनार्थ । .
4. कार्यालयीन आर.टी.ई. कक्ष प्रभारी की ओर सूचनार्थ।